डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

राजेश पुत्र घम्मन मीना निवासी अनतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र श्रीया
2. हरिनारायण पुत्र जयनारायण
3. बिजेन्द्र पुत्र जयनारायण
4. बाबूलाल पुत्र जयनारायण
5. राजेश पुत्र जयनारायण

समस्त जाति मीना निवासीयान अनंतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
प्रति वादीगण

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 07/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित होने से खारिज किया जाता है। तथा प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है इसलिये प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है।

निज......—......मुबलिंग......—......बाबत......—......खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......—...... .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 07/11 दिनांकः– 27.01.2011

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

राजेश पुत्र घम्मन मीना निवासी अनतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र श्रीया
2. हरिनारायण पुत्र जयनारायण
3. बिजेन्द्र पुत्र जयनारायण
4. बाबूलाल पुत्र जयनारायण
5. राजेश पुत्र जयनारायण

समस्त जाति मीना निवासीयान अनंतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रति वादीगण

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीगण

2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादीगण

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय दिनांकः– 05.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अनंतपुरा स्थित आराजी ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 मे वादी बहिस्सा 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के डोडया, सुगन, हरीकिशन, हीरालाल, जयराम, अमरजीत, रामप्यारी है, प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वादी तथा डोडया वगै0 ने खाता संख्या 45 का बाहमी बटवारा कर रखा है तथा अपनी सुविधाअनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है ख0न0 827 के कुछ हिस्से पर वादी द्वारा कृषि संसाधन हेतु मकानियत बना रखी है शेष आराजीयात कृषि योग्य है। प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुच वाले डंडेवाले पैसे वाले गिरोह बन्द व्यक्ति है जो वादी की आराजीयात को हडपना चाहते है। बॉका दिनांक 18.01.2011 का है कि वादी अपनी आराजीयात पर था कि प्रतिवादीगण एकराय होकर कुछ मजदूरो को लेकर वादी की खातेदारी की आराजी ख0न0 827 मे आये ओर नीव खोदने लगे। वादी द्वारा मना करने पर नाराज हो गये। तथा कहने लगे कि हमारे पास रिहायशी आराजी कम है इसलिये हम तुम्हारे मकान के चरपेट मे मकान बनायेगे। तथा तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहेगे। वादी द्वारा गाव के गणमान्य व्यक्तियो को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाया पर नही माने। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 मे वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। वादी को बेदखल कर स्वंय कब्जा नही करे आराजी को खुर्द

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बुर्द नही करे। आराजी मे कृषि विकासार्थ बने मकान की खिडकियो को बन्द नही करे, नाही छज्जो को तोडे, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे, नाही किसी अन्य से करावे। एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात आबादी की आराजी है। हाल भूमि ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 ग्राम अनतपुरा साबिक ख0न0 443/3 रकवा 8 बिस्वा से बना है। इस भूमि मे डोडया पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/8, सुगन पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/8, रामप्यारी पत्नि गिर्राज, हरिकिशन, हीरालाल, जयराम, अमरजीत पि0 गिर्राज हिस्सा 1/8 राजेश पुत्र गिर्राज (वादी) हिस्सा 1/8 के खातेदार है तथा हिस्सा 1/2 का जिन्सी पुत्र खेमा जाति मीना निवासी अनतःपुरा खातेदार था। भू–प्रबन्ध से पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2038–41 तक मे जिन्सी के नाम 1/2 की खातेदारी दर्ज थी। तथा 1/2 हिस्सा सुगन आदि के नाम थी। यह भूमि सुगन आदि ने पूर्व खातेदार रामजीलाल पुत्र कजोडया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय की थी। वादी व अन्य खातेदारान ने भू–प्रबन्ध कर्मचारियो से साज कर समस्त खातेदारी अपने नाम गलत दर्ज करा ली। जिन्सी लाऔलाद फौत हुआ था। लेकिन उसके भाई खिलाडी के पुत्र वारिस है। इस प्रकार मौजूदा रिकार्ड मे वादी व उसके परिवारजन सुगन आदि के नाम खातेदारी गलत व अवैध दर्ज है। विवादित आराजी के साबिक ख0न0 443/3 रकवा 8 बिस्वा मे जिन्सी ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये विकय नामा स्टाम्प 5/– पर किमती एक हजार रूपये मे दिनांक 23.09.1978 को बद्री प्रसाद पुत्र किशनलाल महाजन निवासी अनतःपुरा को विक्रय कर दिया और कब्जा करा दिया। बद्री महाजन ने अपने खास भाई रामेश्वर पुत्र किशनलाल महाजन निवासी अनतःपुरा को दिनांक 4.8.1993 को 16000/–मे 5 रूपये के इकरारनामे पर विकय कर दिया। रामेश्वर व उसके पुत्र दामोदर ने रिहायश हेतु मकान बना लिया था। इस भूमि के 1/2 हिस्से को मय मकानीयत सहित 1,55,000/– मे श्रीमति श्यामवती देवी पत्नि जयनारायण एवं जयनारायण पुत्र श्रीया मीना निवासी अनतःपुरा को दिनांक 19.06.2006 को 100/–के स्टाम्प पर लिखकर विकय कर दिया। मौके पर केतागण का कब्जा है। चुकि रामेश्वर का देहान्त हो गया था। इसलिये उसके पुत्र ने यह विकय नामा लिखा है। इस प्रकार विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण की रिहायश है मौजूदा मे पानी का टैक, लोहे व सीमेन्ट की टीन सैड डली हुई है चारो तरफ से बाउन्ड्री हो रही है विकय के दिन से आज तक प्रतिवादीगण इस विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर रिहायश कर रहे है। प्रतिवादी जयनारायण व उसकी पत्नि श्यामवती कानूनन हिस्सा 1/2 के खातेदार मालिक है। खातेदारी कराने के हकदार है। अब यह आराजी कृषि योग्य नही रही है। वादी ने भी अपने वादपत्र मे रिहायश होना बताया है, ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये विवादित आराजी ख0न0 827/0.10 है0 मे हिस्सा 1/2 मे जयनारायण पुत्र श्रीया व श्यामवती पत्नि जयनारायण जाति मीना निवासी अनतःपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम अनतःपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–1, एवं स्वंय का शपथपत्र तथा गवाह हरिराम का शपथ पत्र पेश किया इनसे वकील प्रतिवादी ने जिरह पूर्ण की । प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी बाबूलाल एवं राजेश पि0 जयनारायण के शपथ पत्र पेश किये। इनसे वकील वादी की जिरह नही हुई। प्रतिवादी वकील ने प्रतिवादी साक्ष्य बन्द कराई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहराते हुये कथन किया कि वादी ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 मे हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी गण का वादी के हिस्से की आरजी से किसी प्रकार का कोई संबध नही है। अतः वादी के हिस्से मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे कथन किया कि पूर्व खातेदारान से प्रतिवादीगण ने भूमि क्रय की है, मकानात बने हुये है। वादी का दावा खारिज करते हुये कब्जाअनुसार प्रतिवादी जयनारायण एवं श्यामवती को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 के ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 मे वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। जिस 1/4 हिस्से अर्थात 2.5 ऐयर भूमि पर मकान व कृषि योग्य बताई है, तथा मकान की खिडकी बन्द करने व छज्जे तोडने का कथन प्रतिवादी द्वारा करने का उल्लेख किया है। शामलाती भूमि होने से एवं बिना विधिवत तकास्मा हुये वादी के कब्जे का निर्धारण किस स्थान विशेष पर है तय नही किया जा सकता। वादी ने जिरह मे 2.5 ऐयर भूमि पर स्वंय का कब्जा एवं शेष 7.5 ऐयर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व मकान बना होना दावा पेश करने से पूर्व के होना स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे सलग्न मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 21.1.2013 के अनुसार आराजी ख0न0 827 के पूर्वी हिस्से मे मौके पर आबादी, बाडा, टीनशैड, शौचालय बाथरूम, एवं पशुशैड प्रतिवादी जयनारायण के बने होना बताया है। शेष हिस्से मे सहखातेदारान के खिडकी जंगला मकान बने होना बताया है पूर्वी दिशा मे वादी एवं अन्य सहखातेदारान का कोई रास्ता दरवाजा, खिडकी, जंगला, और निकास नही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम अनंतपुरा की आराजी ख0न0 827 रकवा 0.10 है0 शामलाती भूमि होने से एवं बिना विधिवत तकास्मा हुये वादी के कब्जे का निर्धारण किस स्थान विशेष पर है तय नही किया जा सकता है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के अनुसार आराजी ख0न0 827 के पूर्वी हिस्से मे प्रतिवादी जयनारायण के मौके पर आबादी बाडा, टीनशैड, बाथरूम आदि बने हुये है। अर्थात प्रतिवादी का कब्जा है।

अतः वादी का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित होने से खारिज किया जाता है। तथा प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्ता द्वारा आराजीयात के क्रय किये जाने के संबध मे किसी प्रकार के कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है, इसलिये प्रतिवादी को काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

05/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:34:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: